मा० उच्च न्यायालय द्वारा उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पक्ष में दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

 रिट याचिका संख्या 14970 / 2010 बृजेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य <u>विषय</u> – याची उ0प्र0पुलिस भर्ती 09 की शारीरिक मानक परीक्षण के चिकित्सा परीक्षण में असफल हुआ उसके द्वारा पुनः चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु निवेदन करने पर पुनः चिकित्सा परीक्षण मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जिसमें याची पुनः असफल हो गया।

निर्णयः मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि

I have considered the submissions made by the parties and perused the record. Once a person has been examined again by the medical board and has been declared medically unfit, then in the circumstances whether this Court can sit over upon the medical report given by the Board consisting of three experts. In view of the aforesaid facts, in my opinion, no relief can be granted to the petitioner; any how the petitioner alleges that he has submitted a representation that may be considered by competent authority.

The writ petition is dismissed.